अमर उजाला | प्रदेश | amarujala.com | देहरादून | बृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2024 | 10

राज्यपाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहादुर बेटियों का किया सम्मान

गुलदार से बचाई थी अपने भाइयों की जान..अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने उन बहादुर बेटियों को सम्मानित किया, जिन्होंने साहस का परिचय दे गुलदार से अपने भाइयों की जान बचाई थी। चार जनवरी 2024 को अमर उजाला ने इन बहादुर बेटियों की खबर प्रकाशित की थी।

उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की ओर से राजभवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्रीनगर के देवलगढ़ भटोली निवासी 10 वर्षीय आराधना और सहसपुर जिला देहरादून की 10 वर्षीय बालिका नाजिया को सम्मानित किया। आराधना ने अपने सात वर्षीय छोटे भाई प्रिंस और नाजिया ने अपने तीन भाइयों की गुलदार से जान बचाई थी। राज्यपाल ने दोनों बच्चियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने बाल संरक्षण आयोग की ओर से बनाए गए बाल विधायकों भूमिका रौथाण, दीक्षा खर्कवाल, काजल कश्यप एवं सुमेधा उपाध्याय को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया। बाल कल्याण के कार्यों के लिए राज्यपाल ने गीतिका शर्मा, प्रज्ञा भारद्वाज, राजेन्द्र प्रसाद, गुरप्रीत सिंह एवं मंजू शर्मा को सम्मानित किया।

लड़कों की तुलना में बेटियों की संख्या अधिक होना एक सुखद बदलाव

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब भी प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री या अवॉर्ड दिए जाते हैं तो लड़कों की तुलना में बेटियों की संख्या अधिक होती है जो एक सुखद बदलाव है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और मजबूत करने का एक अवसर है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा, नशामुक्ति केंद्रों के लिए नियमावली बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि किड्स स्कूल में किस तरह से शोषण हो रहा है। आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी ने कहा, बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लें। कार्यक्रम में प्रथम महिला गुरमीत कौर, आयोग के सचिव प्रदीप सिंह रावत, सदस्य विनोद कपरवाण, अजय वर्मा, रेखा रौतेला,कैलाश पंत, मृत्युंजय नौटियाल, विश्वास रावत,राजू बिंद्रा, शादाब शम्स, मुकेश कुमार, विनय रोहिला आदि मौजूद रहे।

पुरस्कार पाकर बेटियां बोलीं- थैंक्यू अमर उजाला

उत्तराखंड में कई बहादुर बच्चे हैं। जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है, लेकिन जिलों से इन बच्चों का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नहीं भेजा जा सका। अमर उजाला में चार जनवरी 2024 को इस तरह के बच्चों की खबर प्रकाशित होने के बाद बुधवार को राजभवन में आराधना और नाजिया को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। सम्मान पाकर बहादुर बेटियां बोलीं सम्मानित होकर बहुत खुश हैं, थैंक्यू अमर उजाला। आराधना अपने पिता उत्तम सिंह के साथ राजभवन पहुंची हुई थी। उत्तम सिंह ने बताया कि उनकी बेटी राजकीय जूनियर हाईस्कूल भटोली की कक्षा सातवीं की छात्रा है। उसने गुलदार से उनके छोटे बेटे प्रिंस की जान बचाकर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। राजभवन में यह सम्मान पाकर उसने उनका गौरव बढ़ाया है। उनकी बेटी उनका गौरव है। जिसकी वजह से पहली बार राजभवन में इस सम्मान का अवसर मिला। आराधना की मां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून नहीं आ पाई, लेकिन बेटी की इस उपलब्धि पर वह बेहद खुश है। बहादुर बेटी नाजिया अपने पिता नाजीम अली और मां रुबीना के साथ राजभवन पहुंची थी। नाजीम अली ने बताया कि नाजिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर की कक्षा पांचवीं की छात्रा है। नाजिया उस दिन गुलदार के हमले वाली घटना से अब भी ठीक से उबर नहीं पाई है। घटना के बारे में पूछे जाने पर उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसने किस तरह से गुलदार के आने पर अपने भाई वसीम, नदीम और नसीम को अंदर खींच लिया। जबकि गुलदार अहसान को उठा ले गया। नाजिया ने बताया वह भविष्य में डाक्टर बनना चाहती है।

छूने चली आसमान देखो, एक नन्ही से जान देखो : राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में बेटियों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। बाल आयोग के सहयोग से डा. गौरी बिष्ट की ओर से बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को खूब सराहा गया। छूने चली आसमान देखो, एक नन्ही से जान देखो गीत पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में राज्यपाल ने कहा, यह मन से बनाई गई बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, इस संदेश का प्रचार प्रसार होना चाहिए।

संबंधित खबर का वीडियो देखने के लिए इस QR Code को स्कैन करें

हर क्षेत्र में आगे हैं हमारी बेटियां और रहेंगी : राज्यपाल

जागरण संवाददाता, देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने कहा कि आज भी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और भविष्य में आगे ही रहेंगी। क्योंकि वो जो ठान लेती हैं, उसे पूरा कर दिखाती हैं। इसका ही परिणाम है कि आज विश्वविद्यालयों में छात्रों की अपेक्षा 70 प्रतिशत अधिक छात्राएं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बेटियों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाना चाहिए।

बुधवार को राजभवन में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनका मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) एवं विशिष्ट अतिथि राज्यपाल की पत्नी गुरमीत कौर ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर देश का नाम रोशन कर रही हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल ने 'छूने चलीं आसमान देखो' फीचर फिल्म को भी लांच किया। यह फिल्म चिकित्सा, खेल, बैंकिंग, सेना व पुलिस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों के संघर्ष पर आधारित है। कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार पाने से रह गई बच्ची पौड़ी गढ़वाल की आराधना व देहरादून की नाजिया को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य कर रहे बाल विधायक में देहरादून की भूमिका रौथाण, चंपावत की दीक्षा खर्कवाल एवं सुमेधा, उधम सिंह नगर की काजल कश्यप का भी सम्मान हुआ। वहीं उत्कृष्ट कार्य कर रही गीतिका शर्मा, प्रज्ञा भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद, गुरमीत सिंह, मंजू शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर बाल आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी ने कहा कि बेटियां हमारे भविष्य की नींव हैं। सरकार ने मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने एवं बेटियों को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मूरत राम नौटियाल, विश्वास डाबर, कैलाश पंत, विनोद कपरवाण, विशाल चांदना, रेखा रौतेला, उर्वशी चौहान आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने सम्मानित किया। इस मौके पर प्रथम महिला गुरमीत कौर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना व बालिका के सदस्य भी मौजूद रहे ● सौजन्य: सूचि

पुलिस ने छात्राओं के लिए लगाई पाठशाला

देहरादून : राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पुलिस ने स्कूली छात्राओं के लिए विधिक अधिकारों व सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा के भी गुर सिखाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर देहरादून के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस ने स्कूलों में छात्राओं, समाज के विभिन्न वर्गों की बालिकाओं को उनके अधिकारों तथा अपराधों के प्रति जागरूक किया। यौन शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम आदि के संबंध में जानकारी दी गई। महिला पुलिसकर्मियों ने विधिक अधिकार बताए। छात्राओं को किसी भी आपराधिक घटना का विरोध करने व सूचना पुलिस व स्वजन को देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। बालिकाओं व महिलाओं को पुलिस ने गौरा-शक्ति एप भी डाउनलोड कराया।

जागरूकता

बाल संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया की ओर से 70 बाल विधायक कर रहे काम

अधिकार बताकर बाल विवाह रोकने के लिए कर रहे जागरूक

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। छोटी सी उम्र में बाल विधायक बड़े काम कर रहे हैं। चाहे बात शिक्षा की हो, बाल विवाह की या फिर बाल अधिकार की, समाज के लिए विभिन्न मुद्दों पर बाल विधायक बखूबी काम कर रहे हैं।

उत्तराखंड में 70 बाल विधायक इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने बताया कि आयोग और प्लान इंडिया की ओर से यह बाल विधायक चुने गए हैं। तीसरी विधानसभा में बाल विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ था। इसमें बाल विधायकों ने कार्यों की समीक्षा देखी। जिस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बाल विधानसभा को मुहर लगा देने की बात कही है।

बच्चों को जागरूक करते बाल विधायक।

सीख रहे समाज की बारीकियां

डॉ. गीता ने बताया कि बाल विधायकों को समाज की बारीकियां, चुनौतियों के साथ ही यह भी पता चल रहा है कि एक विधायक किस तरह काम करता है और कमियों को दूर करने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। बाल विधायक को जिला प्रशासन और उनके क्षेत्र के विधायक के संपर्क में रहने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इन मुद्दों पर लोगों को किया जागरूक

मुद्दा	लोग
बालश्रम, स्वास्थ्य जागरूकता	1685
बाल अधिकार, बाल शोषण	2972
बाल विवाह	30
नशा मुक्ति	1480
बेटियों की शिक्षा	254
शिक्षा का महत्व	1676
बाल विधायक की चयन प्रक्रिया	2506
वाटर कूलर, सैनेटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीन, कूड़ेदान संबंधी	435
ग्राम स्तर पर समस्याएं, चिकित्सा सुविधाएं आदि	1157
वंचित बच्चों को पुस्तकें, सैनेटरी नैपकिन वितरण	461
बाल कैबिनेट की भूमिका	367
पेंटिंग, बुक बैंक, इको सेफ्टी क्लब, चिल्ड्रन क्लब का गठन	204

आयोग कर रहा बच्चों के हितों के लिए काम : आर्य

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रथम सत्र का मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला में देश के 18 राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष, सचिव व सदस्य सचिवों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में बाल अधिकारों के सम्बन्ध में गहन चिन्तन व नई नीतियों के निर्धारण की रूपरेखा तैयार किये जाने पर जोर दिया।

इस दौरान बाल अधिकारों के लिए तैयार की गई दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन के प्रथम तकनीकी सत्र में बाल हितों के विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर गहन चर्चा की गई। जिसमें नशा, स्वास्थ्य, नई शिक्षा नीति, यातायात, बाल सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ द्वारा अपना अनुभव सांझा किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों और बालकों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनों जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, पक्सो अधिनियम के साथ-साथ बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, मिशन वात्सल्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए यह संकलन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आयोग एक अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य की परिकल्पना करता है, जो प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रियाओं सहित राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है।सांसद नरेश बंसल द्वारा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने

■ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ करती मंत्री।

इस तरह के आयोजन की महत्ता बताते हुये गम्भीर मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मंथन एवं विचार विमर्श करते हुये बाल कल्याण के क्षेत्र में नई राह तलाशे जाने पर जोर दिया ताकि भविष्य के लिये एक ठोस व्यवहार नीति तैयार की जा सके। इस दौरान आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी, विनोद कपरवाण ने भी अपने विचार रखे।

कार्यशाला में प्रमुख सचिव न्याय निखिल शर्मा, सदस्य अजय वर्मा, रेखा रौतेला, राज्यमंत्री कुसुम कंडवाल, राज्यमंत्री विश्वास डाबर, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, राज्यमंत्री मधुभट्ट, पद्मश्री बसंती देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

अमर उजाला

न्यूज डायरी

बालिकाओं को बैग और प्रशस्तिपत्र दिए

देहरादून। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने बालिका निकेतन केदारपुरम में ऐपण कला प्रशिक्षित बालिकाओं को प्रशस्तिपत्र और स्कूल बैग्स वितरित किए गए। डॉ. गीता खन्ना ने बालिका निकेतन की बालिकाओं के ऐपण प्रशिक्षण की सराहना की। इस तरह के प्रशिक्षण से वर्तमान सरकार रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। इस दौरान "यू" ब्रांड के स्कूल बैग्स भी डॉक्टर गीता खन्ना ने बालिकाओं को वितरित किए। इस दौरान यू की फाउंडर काव्या कटाघात भी कार्यक्रम में उपस्थित थी। कार्यक्रम में फिक्की फ्लो उत्तराखंड की चेयरपर्सन अनुराधा मल्ला ने भी काव्या कटाघात को उनके ब्रांड "यू" की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। संवाद

बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा : डॉ. गीता

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने गिनाई उपलब्धियां

देहरादून। प्रदेश में बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। यह कहना है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना का। उन्होंने यह बात आयोग में अध्यक्ष पद पर दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कही। उन्होंने कहा, बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए आयोग ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में जरूरतमंद बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई स्कूल इसमें मनमानी कर रहे हैं। इस तरह के विद्यालयों के खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग के सदस्यों के सहयोग से मई में बालश्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। साइबर अपराध के प्रति भी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। गैरसैण में बाल विधानसभा आयोजित की गई। समय-समय पर प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों,

डॉ. गीता खन्ना

दून में अगले महीने होगा राष्ट्रीय सेमिनार

बाल आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण के मुताबिक अगले महीने देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगा। जिसमें सभी राज्यों के बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव आएंगे। जो बाल अपराध पर रोक के लिए एक दूसरे के अनुभव एवं योजनाओं को साझा करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि होंगी।

कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं कमियों को दूर कराया गया। 20 नवंबर को टिहरी जिले में बाल दिवस मनाया जाएगा। ब्यूरो

आरटीई दाखिले व नशा उन्मूलन कार्यक्रम पर रहेगा जोर

जागरण संवाददाता, देहरादून: शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला देना अनिवार्य है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जांच में कुछ स्कूलों की शिकायतें भी मिल रही हैं। स्कूलों को इसका पालन सख्ती से करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले व नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाने पर और जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार कार्यशाला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने यह बातें कहीं।

जीएमएस रोड स्थित होटल सेफायर लीफ में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण जैसे मुद्दों व बाल कानून जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, पोक्सो अधिनियम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, मिशन वात्सल्य जैसे विषयों पर बातचीत, चर्चा, विमर्श का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर पूर्ण रोक लगाए जाने के बारे में बताया। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में नए आयाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिक्षा के लिए जाने वाले फैसले पर शीघ्र कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवी संस्था प्लान इंडिया के सहयोग से तैयार पुस्तक डिजिटल मित्र लर्निंग माड्यूल का विमोचन भी किया। इसके बाद नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद के उप निदेशक आदित्य गौशिक, उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी ... ने कहा कि ... नियमों का पालन होने पर से निकलते ही करना चाहिए। कहा कि बच्चों को अधिकार के बारे में जानना जरूरी है इससे उन्हें आगे बढ़ने व दूसरों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। इसके बाद सीओ अंकुश मिश्रा ने साइबर अपराध के बारे में बताया। प्लान इंडिया नई दिल्ली से पहुंचे मोहम्मद आसिफ ने बाल अधिकारों के लिए बाल विधानसभा उत्तराखंड के माडल पर प्रस्तुतीकरण व व्याख्यान दिया। ... फाउंडेशन के ... पवन शर्मा ने शारीरिक व मानसिक ... अभियान के ... नेटवर्क ... पर ट्रैफिकिंग व बाल विवाह के बारे में बताया। सीसीओडीडी नई दिल्ली की निदेशक कुमकुम कुमार ने बच्चों के बाल विधानसभा में अधिकार के प्रति जागरूक होने पर विचार रखे। आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी ने कहा कि बाल हितों के लिए जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न जिलों में आयोजित किए जाते हैं। आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने कहा कि मंगलवार को कार्यशाला का समापन होगा। इस मौके पर आयोग के सचिव प्रदीप सिंह रावत, आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण, अजय वर्मा, रेखा रौतेला, अनुसचिव एसके सिंह आदि मौजूद रहे।

जीएमएस रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल मित्र लर्निंग माड्यूल पुस्तक का विमोचन करते मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत • जागरण

बाल कल्याण समिति के सशक्तीकरण पर कार्य करना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनंत अस्थाना ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को बच्चों के पुनर्वास के लिए किए जाने वाले कार्यों की जिम्मेदारी समझनी होगी। बाल कल्याण समिति के सशक्तीकरण पर कार्य करना जरूरी है। यह पता होना चाहिए कि पोक्सो के मामले में बाल कल्याण समिति सात दिन में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।

दंपती की मौत, पोस्टमार्टम में नहीं आया कारण, विसरा की होगी जांच

को बंद कमरे में मिले थे पति-पत्नी के शव

जमीन गिरवी रखकर खरीदी थी हाइड्रा मशीन

[illegible]

उत्तरकाशी में पलट गई थी मशीन, नहीं है इंश्योरेंस

[illegible]

[illegible] ... पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके लिए डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित करने की सलाह दी है। इसकी जांच के बाद ही कारण पता चल सकता है।

शव से निकले कीड़ों ने नवजात के गले पर किया घाव

पीलिया की भी है शिकायत, दून अस्पताल के एसएनसीयू में चल रहा इलाज

बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने दून अस्पताल में जाना नवजात का हाल।

[illegible]

बाल आयोग की अध्यक्ष पहुंची अस्पताल

[illegible]

छात्राओं को गुड टच-बैड टच को लेकर किया जागरूक

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने बच्चों को बाल अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को गुड टच व बैड टच को लेकर जागरूक किया। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने वर्चुअल माध्यम से पोस्को अधिनियम एवं बाल अपराध से जुड़ी जानकारी साझा की।

जीएमएस रोड स्थित होटल सेफरोन लीफ में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन की शुरुआत आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना एवं सदस्य विनोद कपरवाण ने दीप प्रज्वलित कर की। बाल विधायकों ने धरातल पर किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट विशेषज्ञों के सामने रखी। इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों की आयोग अध्यक्ष को उत्तराखंड

- राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन बाल विधायकों ने धरातलीय कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की
- विशेषज्ञों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट पर आयोग में किया जाएगा मंथन

आयोग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने को लेकर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों के आंकड़े के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट पर आयोग में मंथन किया जाएगा। इस मौके पर सदस्य अजय वर्मा, रेखा रौतेला, प्रदीप सिंह रावत, डा. एसके सिंह, विशाल चाचरा आदि मौजूद रहे।

जीएमएस रोड स्थित होटल सेफरोन लीफ में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन पर आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना के साथ प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले बच्चे • जागरण

किशोरी की लाश घर पहुंचते ही हंगामा, एलआईयू कर्मी को पीटा

दून में किशोरी की मौत के मामले में शुक्रवार को लोगों ने आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। • हिन्दुस्तान

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। रेसकोर्स स्थित विधायक हॉस्टल के पास ही एक अपार्टमेंट में पंद्रह वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत मामले में शुक्रवार को दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। पोस्टमार्टम हाउस से किशोरी का शव घर पहुंचा तो परिजनों संग कई संगठनों ने मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। इस दौरान मौके पर कुछ लोगों ने एलआईयू कर्मचारी की पिटाई कर फोन उनका फोन छीन लिया।

विधायक हॉस्टल के नजदीक एक फ्लैट में अभिषेक लूथरा उर्फ राजा का परिवार किराये पर रहता है। परिवार ने एक बस्ती की 15 वर्षीय किशोरी को करीब दो महीने से काम पर रखा हुआ था। गुरुवार सुबह किशोरी बाथरूम में लटकी मिलने की बात कह अस्पताल पहुंचे। यहां किशोरी को मृत घोषित किए जाने पर आरोपी के घर के बाहर और नेहरू कॉलोनी थाने में गुरुवार को लोगों ने हंगामा किया। सदन में भी यह मामला उठा तो कांग्रेस के कई विधायक पहुंच गए। दबाव बनता देख पुलिस ने तीन डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस दौरान दुष्कर्म या हत्या किए जाने के साक्ष्य नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी की मौत का कारण फांसी से लटकना आया। पुलिस ने शुक्रवार को किशोरी का शव परिजनों को सौंपा गया। वह घर पर किशोरी का शव लेकर पहुंचे। इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और कई बाहरी लोग भी पहुंच गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार, सीओ डालनवाला आशीष भारद्वाज, इंस्पेक्टर डालनवाला राकेश गुसाईं, शहर कोतवाल केसी भट्ट इस दौरान मौजूद रहे।

15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला

02 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक इस पूरे मामले में

- दुष्कर्म, हत्या किए जाने के साक्ष्य नहीं मिले : पुलिस
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से लटकना मौत का कारण

सीबीआई जांच की मांग

लोगों ने इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई न किए जाने पर सवाल उठाया। इसी लेकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस को मांग पत्र सौंपा। इसमें घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग शामिल थी। एसपी सिटी ने बताया कि पत्र को शासन को भिजवा दिया जाएगा।

देहरादून में शुक्रवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने किशोरी की मौत का घटनाक्रम जाना। • हिन्दुस्तान

परिवार से मिलीं आयोग अध्यक्ष

देहरादून। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना व सदस्य विनोद कपरवाण ने रेसकोर्स में पीड़ित किशोरी के परिवार से मुलाकात की। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि मृतक किशोरी के घर में आक्रोश का माहौल था। सभी पड़ोसी व रिश्तेदार इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। आयोग अध्यक्ष ने नेहरू कॉलोनी सीओ से वार्ता कर भीड़ को यह विश्वास दिलाया कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही व पक्षपात नहीं किया जा रहा है और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

दिव्यांग खिलाड़ी को एडमिशन न देने वाले स्कूलों को नोटिस

सीबीएसई के स्कूलों की मान्यता के लिए रैंप अनिवार्य है। दून के ज्यादातर स्कूलों में रैंप बने हैं। प्रवेश के लिए दिव्यांग को मना नहीं कर सकते। **डॉ. रणवीर सिंह**, क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई दून रीजन

स्कूलों में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनकी मान्यता से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की कोई लिखित शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

-डॉ. प्रदीप कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने दिव्यांग खिलाड़ी को प्रवेश न देने वाले स्कूलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने इस मामले में शिक्षा विभाग और सरकार को पत्र भेजा है। साथ ही संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों का पैरा खिलाड़ी को प्रवेश नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है। खन्ना ने बताया कि संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किया था। दो जून को आयोग में सुनवाई हुई, लेकिन 10 स्कूलों में से केवल दो ही स्कूल इसमें शामिल हुए। सुनवाई में पहुंचे दो स्कूलों ने भी सुविधाएं जुटाने के बाद दाखिले की बात कही। उधर, स्कूलों के रवैये से मायूस होप टेरेसा के माता-पिता ने इसे लेकर एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वे स्कूलों में जाकर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रैंप बनवाएंगे। इसकी शुरुआत देहरादून से ही की जाएगी।

माता-पिता को आज कार्यालय बुलाया, जिले के स्कूलों की स्थिति जांचने की तैयारी

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को दाखिला न देने वाले स्कूलों की जांच बिठाई

हि असर

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। शिक्षा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की जांच बिठा दी है। खिलाड़ी के परिजनों को बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया है। उनसे पूरे प्रकरण की जानकारी ली जाएगी। साथ ही, विभाग जिलेभर के स्कूलों की स्थिति भी जांचने की तैयारी में है।

जाखन की बारह वर्षीय व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी और रेसर होप टेरेसा डेविड को दून के कुछ स्कूलों ने यह कहकर दाखिला नहीं दिया कि उनके यहां दिव्यांगों के लिए रैंप-लिफ्ट नहीं है। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने छह जून के अंक में 'स्कूलों ने नहीं दिया अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी को दाखिला' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। अब शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। दून के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार रावत के अनुसार, विभाग इस प्रकरण की जांच कर रहा है। दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दिव्यांग खिलाड़ी के परिजनों से भी इस प्रकरण में पूछा जाएगा। बता दें इस मामले में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले ही स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका है। आयोग की ओर से शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है।

12 वर्षीय व्हीलचेयर खिलाड़ी के मामले में शिक्षा महकमे ने लिया है संज्ञान

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले ही स्कूलों को जारी कर चुका नोटिस

टेरेसा के माता और पिता ने अभियान शुरू किया

बेटी को भले ही दून में दाखिला न मिला हो, लेकिन टेरेसा के माता-पिता ने स्कूलों में रैंप लगवाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। मंगलवार को टेरेसा की मां शिल्पी डेविड और पिता एरिक डेविड हर्रावाला स्थित एक स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन से वार्ता की। शिल्पी ने बताया कि इस स्कूल में एक दिव्यांग छात्र है। बुधवार को वे दोबारा स्कूल का मुआयना करेंगे। उनका लक्ष्य दून समेत देश के हर स्कूल में दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाना है।

होप टेरेसा डेविड। • हिन्दुस्तान

2864 सरकारी स्कूलों में रैंप नहीं

देहरादून, विशेष संवाददाता। दिव्यांग छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए हर स्कूल में रैंप बनाने के आदेश हैं, लेकिन इसका पालन प्राइवेट तो दूर खुद सरकारी स्कूल भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। 2864 बेसिक और जूनियर स्कूलों में रैंप नहीं बने हैं। यह संख्या उत्तराखंड के कुल बेसिक और जूनियर स्कूलों की संख्या का 20 फीसदी से ज्यादा है। न केवल रैंप, बल्कि अन्य कई जरूरी संसाधन भी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। मालूम हो कि राज्यभर में बेसिक और जूनियर स्कूलों की संख्या 13 हजार 921 है।

अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने संसाधनों की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें यह तस्वीर सामने आई। रैंप न होने पर दिव्यांग छात्रों को मुश्किल होती है। पेयजल, बिजली और टॉयलेट जैसी सुविधाएं का अभाव मुश्किलें और बढ़ा देता है। हाल ही में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली एक पैरा एथलीट को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया गया। नियमानुसार, हर शिक्षण संस्थान को दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप एवं अन्य सुविधाएं तैयार रखना अनिवार्य है।

ये भी हैं कमियां

सुविधा	वंचित स्कूल
बॉयज टॉयलेट	934
गर्ल्स टॉयलेट	895
पीने का पानी	542
बिजली कनेक्शन	1609
लाइब्रेरी	3433
खेल मैदान	5633

"सरकारी स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। सभी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। चरणबद्ध ढंग से इनका विकास किया जा रहा है।

-बंशीधर तिवारी, डीजी-शिक्षा

दैनिक भास्कर

बाल आयोग अध्यक्ष ने आपदा क्षेत्र का लिया जायजा

भास्कर समाचार सेवा

विकासनगर। रविवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने विन्हार क्षेत्र के जाखन गांव के आपदा प्रभावित लगभग 22 परिवारों का हालचाल जाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता कराई जाएगी। उन्होंने पुनर्वास को लेकर दूरभाष पर अधिकारियों से बातचीत की।

आयोग की अध्यक्षा ने वहां कुछ महिलाओ से पूछा कि आपको रहने और खाने के कोई समस्या तो नहीं है, इस पर परिवार वालों ने संतोष जताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को धन्यवाद किया।

बातचीत के दौरान पता चला कि आपदाग्रस्त परिवार के बड़े बच्चे

• प्रभावितों की सरकार हर संभव करेगी सहायता

दृष्टि से यह सही नहीं है। क्योंकि वो इस हादसे से डरे हुए हैं और साथ ही उनकी शिक्षा इससे बाधित हो रही है। विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा को सुचारू करना आवश्यक है, जिससे बच्चे इस हादसे से उबर सकें। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि वह अपने छोटे बच्चो को अपने खेतों में लेकर जा रही हैं। उसके लिए आइसीडीएस विभाग के अधिकारियो को बताया गया कि शरणार्थी कैंप के पास ही आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाए, जिससे छोटे बच्चो को वहां रखा जा सके। पुनर्वास के लिए सभी परिवारों ने अपील की कि उनका

स्कूल ने 25 बच्चों को आरटीई के तहत नहीं दिया दाखिला

- सनवैली स्कूल में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत एलकेजी में प्रवेश न देने का मामला
- उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाते हुए स्कूल प्रबंधन को किया तलब

जागरण संवाददाता, देहरादून : सनवैली स्कूल ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 25 बच्चों को एलकेजी में प्रवेश नहीं दिया, जिस कारण बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाते हुए स्कूल प्रबंधन को तलब किया है। मामले को लेकर आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल प्रबंधन की बैठक होगी।

गुरुवार को आयोग ने मामले पर सुनवाई की। आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण ने बताया कि अभिभावक रोहित सैनी एवं अन्य अभिभावकों ने शिकायत दी थी कि सनवैली स्कूल में आरटीई के तहत एलकेजी में बच्चों का प्रवेश होना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अल्पसंख्यक मान्यता की बात कह कर प्रवेश देने से हाथ खड़े कर दिए। जबकि शिक्षा विभाग की ओर से फरवरी 2023 में स्कूल के पोर्टल पर बच्चों की संख्या अपलोड कर दी थी, लेकिन स्कूल की ओर से तीन मार्च को स्कूल की अल्पसंख्यक मान्यता को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था। अभिभावकों की शिकायत पर उप शिक्षा अधिकारी रायपुर ने आपत्ति दर्ज करते हुए स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश देने को कहा, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देने से साफ इन्कार कर दिया। स्कूल प्रबंधन को जब अल्पसंख्यक मान्यता के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा, तो वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। सुनवाई के दौरान आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य शिक्षाधिकारी को स्कूल की मान्यता, सोसायटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, स्कूल के एडवाइजर कर्नल डा. जसवेंदर सिंह (सेनि.) ने बताया आयोग को अल्पसंख्यक मान्यता के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मान्यता का पत्र उपलब्ध नहीं करा पाए। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक होनी है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्तान www.livehindustan.com
अपना देहरादून

दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक रखना अनिवार्य

असर

▪ ठाकुर सिंह नेगी

देहरादून। स्कूलों को अब दिव्यांग छात्रों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त करना होगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों के लिए पांच बिंदुओं की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल वातावरण है या नहीं, इसका प्रमाण भी देना होगा।

हाल ही में दून के कुछ स्कूलों की ओर से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी [illegible] को दाखिला नहीं देने का मामला सामने आया था। इस मामले में आयोग ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। भविष्य में किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए आयोग ने स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है।

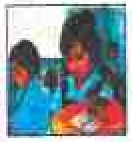

05 बिंदुओं की गाइडलाइन बाल अधिकार आयोग की तरफ से की गई है जारी

▪ उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

बाल अधिकार आयोग की गाइडलाइन में क्या

अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना के अनुसार, गाइडलाइन के तहत यदि स्कूल निचले तल पर है तो शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के सुगम आवागमन के लिए रैंप और कॉरिडोर अनिवार्य है। यदि स्कूल दो मंजिला है तो दिव्यांग बच्चों की कक्षाएं निचली मंजिल पर संचालित की जाएंगी। अन्यथा सुविधानुसार लिफ्ट की व्यवस्था करनी होगी। छात्रों के प्रसाधन की व्यवस्था भी की जाएगी।

स्कूलों को दिव्यांग फ्रेंडली का प्रमाण भी अब देना होगा

न्यूरोलॉजिकल से जुड़े दिव्यांगों के लिए स्कूलों को विशेष शिक्षक नियुक्त करना होगा। शिक्षा के लिए ऑडियो विजुअल विधि का प्रयोग करना होगा। स्कूलों को दिव्यांग बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय और मनोरंजन की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों की सुविधा को स्कूल में आवश्यक साइनेज लगाने होंगे। यही नहीं, स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल वातावरण है या नहीं, इसका प्रमाण स्कूल के मुख्य गेट पर चस्पा करना होगा। खन्ना ने बताया कि आदेश का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किए जाएंगे।

महिला नीति को अंतिम रूप दे रहे विशेषज्ञ

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। उत्तराखंड महिला नीति को अंतिम रूप देने लिए महिला आयोग के नेतृत्व में सोमवार को विभिन्न सेवा संस्थान देहरादून में विभिन्न विभागों के साथ दो दिवसीय बैठक की शुरुआत की गई। जिसमें विशेषज्ञों ने महिला नीति को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझावों को लेकर विस्तार से चर्चा की। महिला आयोग के नेतृत्व में दिसम्बर 2022 में इस नीति का दूसरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद महिला आयोग ने महिला नीति में राज्य की महिलाओं के सुझाव के लिए दो माह का समय निर्धारित किया था। इस दौरान आयोग को कई सुझाव प्राप्त हुए थे। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पहले दिन काफी अहम सुझाव विशेषज्ञों ने दिए हैं, साथ ही पूर्व में ऑनलाइन महिला नीति को लेकर मिले सुझावों को भी विशेषज्ञों के सामने रखा। मौके पर [illegible] के एडीओ डॉ. मनोज कुमार पंत, सचिव कामिनी गुप्ता, रंजना कैरोला, कुमार राजेश, दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे।

युवाओं को नशे से दूर रखना पहली प्राथमिकता : डा. गीता

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने कहा युवाओं को नशे से दूर रखना आयोग की पहली प्राथमिता है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर नशा रोकने के लिए एजेंसियों से मदद ली जा रही है। उत्तराखंड में नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आयोग 20 नंबर को टिहरी गढ़वाल से अभियान की शुरुआत करने जा रहा है।

गुरुवार को सचिवालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दो वर्षों में किए गए अपने कार्य गिनाए। आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने कहा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नशे के खिलाफ काम कर रही एजेंसियों के सर्वे में यह बात सामने आई कि युवाओं की एक बड़ी फौज नशे की लत की ओर बढ़ रही है। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि अधेड़ उम्र से ज्यादा युवा नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे हैं। आयोग ने केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उत्तराखंड की रिपोर्ट प्रस्तुत की साथ ही नशे में लिप्त युवाओं की निगरानी, भूस्खलन, आपदा, आग्जनी में अनाथ बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, शिक्षण संस्थान में बच्चों के उत्पीड़न मामले में प्रभावि ढंग से रोकथाम, देहरादून एवं गैरसैंण में बाल विधानसभा आयोजित करने, आनलाइन बाल यौन शोषण के अंतर्गत साइबर बुलिंग, हैकिंग, आनलाइन बाल यौन शोषण को लेकर कार्यशाला, फीस के नाम पर शुल्क वसूल रहे शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेंटर पर कारवाई, रेस्क्यू किए गए बालश्रमिकों को पुनर्वास केंद्र तैयार करने को प्रमुख उपलब्धियां गिनाईं।

सचिवालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने पत्रकारों से वार्ता में अभियान की जानकारी दी। • जागरण

- नशे के खिलाफ 20 नवंबर को टिहरी गढ़वाल से विशेष अभियान की शुरुआत करेगा उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- राष्ट्रीय स्तर पर नशे की रोकथाम को लेकर काम कर रही एजेंसियों की मदद लेगा आयोग, नशे की गिरफ्त में है बड़ी संख्या में युवा

बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा : डॉ. गीता

देहरादून। प्रदेश में बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। यह कहना है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना का। उन्होंने यह बात आयोग में अध्यक्ष पद पर दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कही। उन्होंने कहा, बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए आयोग ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

उन्होंने प्रत्रकारों से वार्ता में कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में जरूरतमंद बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई स्कूल इसमें मनमानी कर रहे हैं। इस तरह के विद्यालयों के खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग के सदस्यों के सहयोग से मई में बालश्रम एंव बाल भिक्षावृति पर रोक के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। साइबर अपराध के प्रति भी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। गैरसैंण में बाल विधानसभा आयोजित की गई। समय-समय पर प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं कमियों को दूर कराया गया। 20 नवंबर को टिहरी जिले में बाल दिवस मनाया जाएगा। ब्यूरो

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने गिनाई उपलब्धियां

डॉ. गीता खन्ना

दून में अगले महीने होगा राष्ट्रीय सेमिनार

बाल आयोग के सदस्य विनोद कपरुवाण के मुताबिक अगले महीने देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगा। जिसमें सभी राज्यों के बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव आएंगे। जो बाल अपराध पर रोक के लिए एक दूसरे के अनुभव एवं योजनाओं को साझा करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि होंगी।

4 **दैनिक जागरण** देहरादून, 11 जुलाई, 2023

बढ़ रहा बाल यौन शोषण का ग्राफ चिंता का विषय

जागरण संवाददाता, देहरादून : महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए स्वजन को अपने बच्चों को स्मार्ट फोन से दूर रखना होगा। बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से बढ़ रहे बाल यौन शोषण के ग्राफ पर चिंता जताई।

सिद्धार्थ होटल में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से राज्य स्तरीय आनलाइन बाल यौन शोषण कार्यशाला को संबोधित करती महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या • जागरण

सोमवार को प्रिंस चौक स्थित सिद्धार्थ होटल में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से राज्य स्तरीय आनलाइन बाल यौन शोषण पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट रेखा आर्या रहीं। उन्होंने कहा कि आनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए स्मार्ट मोबाइल फोन जिम्मेदार तो हैं ही, बच्चों के स्वजन भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। माता -पिता बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। वह बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सीओ साइबर अंकुश मिश्रा ने कहा उत्तराखंड देश का पांचवां राज्य है, जहां बाल यौन शोषण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। कहा, इंटरनेट मीडिया का उपयोग करते समय किसी ऐसे लिंक को नहीं खोलना चाहिए, जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। कहा साइबर ठगी से बचने के लिए समय-समय पर बच्चों और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव हरिचंद्र सेमवाल, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, डीजी ला एंड आर्डर पी रेणुका देवी, उत्तर प्रदेश पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, बाल आयोग सदस्य विनोद कपरवाण, भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, विशाल चाचरा आदि मौजूद रहे।

बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी

संवाददाता, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा में आयोजित कार्यशाला में मंचासीन अतिथि। • अमृत विचार

अमृत विचार : बाल अधिकारों का संरक्षण तभी होगा जब समाज में इसके बारे में जागरूकता आएगी। हमारा प्रथम ध्येय है कि हर किसी को सामाजिक न्याय व बच्चों के प्रति उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। सभी अभिभावकों, जिला प्रशासन, न्याय विभाग, राजनैतिक व हर स्तर पर बाल अधिकारों की चर्चा कर इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह बात अध्यक्ष उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग गीता खन्ना ने स्प्रिंग डेल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों और योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण कई लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धन लोगों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए उत्तराखंड सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा बाल विकास सभा का गठन किया गया है। इनके द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व शिशु सदनों में बच्चों के बीच जाकर संवाद स्थापित किया जा रहा है तथा उनकी समस्याओं को जानने एवं उनका समाधान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में सदस्य बाल आयोग विनोद कपरवान, सुमन राय, अजय वर्मा, रेखा रौतेला, जिला प्रोबेशन अधिकारी कल्पना मनराल, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीतांबर प्रसाद, गणेश सिंह हरड़िया, अयूब अली, पीसी जोशी, योगेश कुमार, गीता जोशी, नीलिमा आदि रहे।

माता-पिता को आज कार्यालय बुलाया, जिले के स्कूलों की स्थिति जांचने की तैयारी

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को दाखिला न देने वाले स्कूलों की जांच बिठाई

हि असर

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। शिक्षा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की जांच बिठा दी है। खिलाड़ी के परिजनों को बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया है। उनसे पूरे प्रकरण की जानकारी ली जाएगी। साथ ही, विभाग जिलेभर के स्कूलों की स्थिति भी जांचने की तैयारी में है।

जाखन की बारह वर्षीय व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी और रेसर होप टेरेसा डेविड को दून के कुछ स्कूलों ने यह कहकर दाखिला नहीं दिया कि उनके यहां दिव्यांगों के लिए रैंप-लिफ्ट नहीं है। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने छह जून के अंक में 'स्कूलों ने नहीं दिया अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी को दाखिला' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। अब शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। दून के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार रावत के अनुसार, विभाग इस प्रकरण की जांच कर रहा है। दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दिव्यांग खिलाड़ी के परिजनों से भी इस प्रकरण में पूछा जाएगा। बता दें इस मामले में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले ही स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका है। आयोग की ओर से शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है।

12 वर्षीय व्हीलचेयर खिलाड़ी के मामले में शिक्षा महकमे ने लिया है संज्ञान

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले ही स्कूलों को जारी कर चुका नोटिस

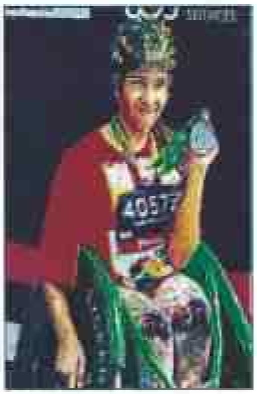

होप टेरेसा डेविड। • हिन्दुस्तान

टेरेसा के माता और पिता ने अभियान शुरू किया

बेटी को भले ही दून में दाखिला न मिला हो, लेकिन टेरेसा के माता-पिता ने स्कूलों में रैंप लगवाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। मंगलवार को टेरेसा की मां शिल्पी डेविड और पिता एरिक डेविड हर्रावाला स्थित एक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन से वार्ता की। शिल्पी ने बताया कि इस स्कूल में एक दिव्यांग छात्र है। बुधवार को वे दोबारा स्कूल का मुआयना करेंगे। उनका लक्ष्य दून समेत देश के हर स्कूल में दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाना है।

2864 सरकारी स्कूलों में रैंप नहीं

देहरादून, विशेष संवाददाता। दिव्यांग छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए हर स्कूल में रैंप बनाने के आदेश हैं, लेकिन इसका पालन प्राइवेट तो दूर खुद सरकारी स्कूल भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। 2864 बेसिक और जूनियर स्कूलों में रैंप नहीं बने हैं। यह संख्या उत्तराखंड के कुल बेसिक और जूनियर स्कूलों की संख्या का 20 फीसदी से ज्यादा है। न केवल रैंप, बल्कि अन्य कई जरूरी संसाधन भी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। मालूम हो कि राज्यभर में बेसिक और जूनियर स्कूलों की संख्या 13 हजार 921 है।

अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने संसाधनों की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें यह तस्वीर सामने आई। रैंप न होने पर दिव्यांग छात्रों को मुश्किल होती है। पेयजल, बिजली और टॉयलेट जैसी सुविधाएं का अभाव मुश्किलें और बढ़ा देता है। हाल ही में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली एक पैरा एथलीट को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया गया। नियमानुसार, हर शिक्षण संस्थान को दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप एवं अन्य सुविधाएं तैयार रखना अनिवार्य है।

ये भी हैं कमियां

सुविधा	वंचित स्कूल
बॉयज टॉयलेट	934
गर्ल्स टॉयलेट	895
पीने का पानी	542
बिजली कनेक्शन	1609
लाइब्रेरी	3433
खेल मैदान	5633

"सरकारी स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। सभी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। चरणबद्ध ढंग से इनका विकास किया जा रहा है।"

-बंशीधर तिवारी, डीजी-शिक्षा

आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले स्कूल की रद होगी मान्यता

- निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी सनवैली स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को नहीं दिया एडमिशन
- विभाग दस्तावेजों की जांच के बाद सीबीएसई को करेगा मान्यता रद करने की संस्तुति
- स्कूल प्रबंधन ने अल्पसंख्यक मान्यता का हवाला देकर दाखिला देने से किया इंकार

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं शिक्षा विभाग की चेतावनी के बाद भी सनवैली स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दिया। इस मामले में अब शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार, स्कूल प्रबंधन अल्पसंख्यक मान्यता होने का दावा कर रहा है। इसलिए प्रबंधन से दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। अगर स्कूल का दावा गलत पाया गया तो मान्यता रद करने की संस्तुति सीबीएसई को भेजी जाएगी। पूर्व में आयोग ने स्कूल प्रबंधन को आरटीई के तहत 25 बच्चों को नौ अगस्त तक एलकेजी में प्रवेश देने के आदेश दिए थे।

गुरुवार को बाल आयोग में सनवैली स्कूल में दाखिला को लेकर अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जब स्कूल प्रबंधन से दाखिला को लेकर जवाब मांगा गया तो प्रबंधन ने अल्पसंख्यक मान्यता का हवाला देकर दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया। बाल आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण ने बताया कि सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन से अल्पसंख्यक मान्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा तो मान्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर शिक्षा विभाग को स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं, सन वैली स्कूल के एडवाइजर कर्नल जसवेंदर सिंह (सेनि.) ने बताया कि आरटीई में बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यक मान्यता के लिए आवेदन किया है। अल्पसंख्यक मान्यता का प्रमाण पत्र मिलते ही बाल आयोग एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

अल्मोड़ा | amarujala.com | नैनीताल | बुधवार, 17 जनवरी 2024 | 8

शैक्षिक संस्थानों की होगी निगरानी : गीता

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता पर की चर्चा

कार्यशाला में मौजूद उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना और अन्य। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

अल्मोड़ा। जागरूकता से बाल अधिकारों का संरक्षण होगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों खासकर कोचिंग संस्थानों की निगरानी होगी। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का उत्पीड़न होता है। ऐसे में इनकी निगरानी जरूरी हो गई है, यह बात कही बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला में शामिल होने पहुंची उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने।

मंगलवार को नगर के एक निजी स्कूल में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय और बच्चों के प्रति उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए अभिभावकों, जिला प्रशासन, न्याय विभाग, राजनैतिक स्तर पर बाल अधिकारों की चर्चा होनी चाहिए।

उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना की अध्यक्षता में हुई बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला

उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग प्रदेश के हर जिले में इस तरह की कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आयोग की तरफ से बाल विकास सभा का गठन किया गया है जो विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों के बीच संवाद स्थापित कर रहा है। बच्चों की समस्या को जानना और उनका समाधान गंभीरता से किया जा रहा है।

कोचिंग संस्थानों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर सीओ विमल प्रसाद ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। इस दौरान बाल आयोग के सदस्य विनोद कपरवान, सुमन राय, अजय वर्मा, रेखा रौतेला, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा सहित कई लोग मौजूद रहे।

बाल अपराधों में सुधार के लिए संवेदनशीलता की जरूरत

- उजाला में विधि विवादित किशोर विषयक गोष्ठी का आयोजन
- बाल अपराधों को लेकर दृष्टिकोण में गंभीरता की जरूरत : जस्टिस सांघी

संवाद सहयोगी, भवाली (नैनीताल): हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि बच्चों पर सामाजिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाल अपराधों में सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में भी बेहद संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। जस्टिस सांघी उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (उजाला) भवाली में रविवार को आयोजित विधि विवादित किशोर विषयक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

जस्टिस सांघी ने कहा कि बाल अपराधों को लेकर दृष्टिकोण में गंभीरता की जरूरत होती है। उन्होंने अपराध रोकथाम की दिशा में किशोर न्याय समिति और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, सदस्य न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने भी गोष्ठी में विचार रखे। हक संस्था की अधिशासी निदेशक भारती अली व बचपन बचाओ आंदोलन की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर संपूर्णा बेहरा ने विषय विशेषज्ञ के रूप में कानूनी व सामाजिक बारीकियों के बारे में बताया।

आयोजन में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल, उजाला के निदेशक हरीश कुमार गोयल, प्रमुख सचिव न्याय नरेन्द्र दत्त, सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग हरिचंद्र सेमवाल, चेयरपर्सन गीता खन्ना, एडीजी पीवी के प्रसाद समेत अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल व हरिद्वार के जिला न्यायाधीश, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

scpcr.uk

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

कार्यालय का पता - आई.सी.डी.एस. भवन, निकट-नन्दा की चौकी,
पी.ओ. - चन्दनवाड़ी, विकासनगर रोड, देहरादून-248007 (उत्तराखण्ड)
दूरभाष सं0 - 9258127046, ई-मेल आई.डी. - scpcr.uk@gmail.com
वेबसाईट - www.scpcruk.org.in

UTTARAKHAND COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

Office Address & ICDS Building,
Near Nanda Ki Chowki,
Vikasnagar Road,
Dehradun - 248007 (Uttarakhand)